वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई, 2017-ज्येष्ठ 5, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-विदित है कि मैं, मयंक गुप्ता शपथ करता हूँ कि मेरी अंकसूची, ड्रायविंग लायसेंस, बीमा पॉलिसी एवं बैंक खातों में मेरा नाम मयंक मोहन गोलस अंकित है एवं मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम मयंक गुप्ता दर्ज है और वर्तमान में भी मैं, मयंक गुप्ता नाम का ही लेख कर रहा हूँ और भविष्य में भी मयंक गुप्ता के नाम से ही जाना-पहचाना जाता हूँ और आगे भी मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना जाए. समस्त सूचित हों.

सूचनाकर्ता-
मयंक गुप्ता,
निवासी-एल-12, चेतकपुरी, झांसी रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

(116-बी.)

सूचना

मैं, अशोक कुमार सोनी तनय स्व. श्री स्वामी प्रसाद सोनी, नि. राजनगर, तह. व थाना राजनगर, जिला छतरपुर, म.प्र. का हूँ जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करता हूँ कि.-

1. यहकि शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि अभिषेक मनु सोनी मेरा पुत्र है, जो कक्षा 11वीं में शिक्षा मरिया माता स्कूल, छतरपुर, म.प्र. में शिक्षा प्राप्त कर रहा है.
2. यहकि मैं शपथपूर्वक करता हूँ कि मेरे पुत्र के शिक्षा प्रमाण-पत्रों में उसका नाम मनु सोनी लेख है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक मनु सोनी है.
3. यहकि मैं शपथपूर्वक करता हूँ कि मैं, अपने पुत्र के शिक्षा प्रमाण-पत्रों में व अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम अभिषेक मनु सोनी तनय अशोक कुमार सोनी लेख करवाना चाहता हूँ, जिस हेतु मैं, यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ.

अशोक कुमार सोनी

(117-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र **"हृद्य अग्रवाल"** के स्थान पर **"प्रणय अग्रवाल"** के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे, साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में इसी नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

(हृद्य अग्रवाल)

नया नाम :

(प्रणय अग्रवाल)
पिता श्री संजय अग्रवाल,
1031/10, नन्दा नगर,
इन्दौर-452011.

(118-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार आर्य पुत्र श्री मदन लाल, निवासी नरसिंह नगर, चार शहर का नाका, ग्वालियर. प्रारंभ में अपना नाम राकेश कुमार आर्य लिखता था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, नौकरी, बैंक खातों आदि स्थानों में अंकित है. वर्तमान में अपना नाम पंकज कुमार लिखना आरंभ कर दिया है.

अत: भविष्य में भी मुझे मेरे नाम राकेश कुमार आर्य के स्थान पर पंकज कुमार के नाम से जाना जावे व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(राकेश कुमार आर्य)

नया नाम :

(पंकज कुमार)
पुत्र श्री मदन लाल,
नरसिंह नगर, चार शहर का नाका,
ग्वालियर.

(119-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रवीण शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश झॉ ने अपना उप-नाम झाँ परिवर्तित कर लिया है तथा भविष्य में मुझे प्रवीण झाँ पुत्र श्री ओमप्रकाश झॉ से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रवीण शर्मा)

नया नाम :

(प्रवीण झाँ)
पुत्र श्री ओमप्रकाश झाँ,
नाका चन्द्रवदनी, नहर वाली माता के ऊपर,
गली नं. 4, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(120-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मीनाक्षी तरुण पत्नी श्री भूपेंद्र तरुण, निवासी-शिव नगर, सिरोल रोड, मुरार, ग्वालियर. सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शादी से पूर्व मीनू मौर्य पुत्री श्री रामसेवक मौर्य था. शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती मीनाक्षी तरुण कर दिया गया है.

अत: मुझे भविष्य में मेरे नए नाम श्रीमती मीनाक्षी तरुण के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(कु. मीनू मौर्य)
पुत्री श्री रामसेवक मौर्य,

नया नाम :

(मीनाक्षी तरुण)
पति श्री भूपेंद्र तरुण,
निवासी-शिव नगर, सिरोल रोड, मुरार,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474006.

(121-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे ASHFAQ HUSSAIN QURESHI (अशफाक हुसैन कुरैशी) के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बदलकर ASHFAQ HUSSAIN (अशफाक हुसैन) हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ASHFAQ HUSSAIN (अशफाक हुसैन) के नाम से जाना जाये है.

पुराना नाम :

(अशफाक हुसैन कुरैशी)
(ASHFAQ HUSSAIN QURESHI)

नया नाम :

(अशफाक हुसैन)
(ASHFAQ HUSSAIN)

(99-बी.)

CHANGE IN NAME

I, DAYARAM have changed my name to DAYARAM VERMA S/o TIKARAM VERMA and now I would be known as DAYARAM VERMA S/o TIKARAM VERMA.

Old Name:

(DAYARAM)

New Name :

(DAYARAM VERMA)
S/o Tikaram Verma,
Add.- Flat No. 402, Shalini Appt.,
Snehlata Ganj, Indore (M.P.).

(124-B.)

CHANGE IN NAME

I, SUNANDA D/o GHANSHYAM JOSHI changed my name to after marriage SUNEETA JOSHI W/o PRAVEEN JOSHI and now I would be known as SUNEETA JOSHI W/o PRAVEEN JOSHI.

Old Name:

(SUNANDA)

New Name :

(SUNEETA JOSHI)
W/o Praveen Joshi,
Add.- 1038, Khatiwala Tank,
Indore (M.P.).

(125-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स, दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज स्थित गंगवाल भवन, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2017 को भागीदार श्री वीरेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री बुधमल गंगवाल, निवासी गंगवाल भवन, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर (HUF) कर्ता की हैसियत से अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से श्री वीरेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री बुधमल गंगवाल, निवासी गंगवाल भवन, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर व्यक्तिगत हैसियत से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज,
रेणू गंगवाल,
(भागीदार).
फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(122-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, 13, वर्धमान टॉवर, रसल चौक, जबलपुर रजिस्ट्रेशन नं. 04/14/01/0183/16, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 की भागीदारी से निम्न भागीदार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से विलग हो गये हैं. 1. सुशील अग्रवाल वल्द स्व. पी.डी. अग्रवाल, 2. विनी राज मोदी वल्द श्री वी.के. जैन, 3. मिनी राज मोदी वल्द श्री वी.के. जैन, 4. श्री बालाजी रियल्टी एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा डारेक्टर श्री श्याम राठौर तथा नये भागीदार के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से निम्न भागीदारों को शामिल किया गया है:- 1. श्रीमती श्रद्धा ममतानी पुत्री श्री एन.एन. शर्मा एवं 2. श्रीमती शिल्पा राठोर पुत्री डॉ. अशोक विजयवर्गीय. अब 01 अप्रैल, 2016 से फर्म श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स में निम्न भागीदार हो गये हैं:- 1 रजनीत जैन पिता श्री डी.सी. जैन, 2. नितिन जैन पिता श्री डी.सी. जैन, 3. अपूर्व सिंघई पिता श्री राकेश सिंघई, 4. पंकज गोयल पिता श्री जी. सी. जैन, 5. श्याम राठौर पिता श्री के.सी. राठौर, 6. श्रीमती श्रद्धा ममतानी पिता श्री एन.एन. शर्मा एवं 7. श्रीमती शिल्पा राठोर पिता डॉ. अशोक विजयवर्गीय.

मेसर्स श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
रजनीत जैन,
(भागीदार),

(123-बी.)

आम सूचना

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी फर्म मेसर्स मोहन इंजीनियरिंग वर्क, भू-खण्ड क्र. 03-बी, बी-सेक्टर, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल भू-खण्ड का क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट जोकि पार्टनरशिप फर्म रही है. उक्त फर्म में दो पार्टनर 01. ललित मोहन शर्मा आ. श्री मौजीलाल शर्मा, निवासी-भू-खण्ड क्र. 03-बी, बी-सेक्टर, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल जो 51 प्रतिशत के पार्टनर रहे हैं

एवं 02. श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शुक्ला, निवासी-161, सी-सेक्टर, साकेत नगर, भोपाल जो 49 प्रतिशत की पार्टनर रही है. ऐसा कि पार्टनर नम्बर दो पार्टनरशिप दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 से डिज्यूलूशन डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के माध्यम से फर्म मेसर्स मोहन इंजीनियरिंग वर्क की पार्टनरशिप से रिटायर्ड यानि निकल गयी है. अब उक्त फर्म के प्लॉट साइज 7650 वर्गफिट ललित मोहन शर्मा के पास रहकर मेसर्स मोहन इंजीनियरिंग वर्क के नाम से कारोबार करेंगे एवं प्लॉट साइज 7350 वर्गफिट श्रीमती मीना शर्मा के पास रहकर वह अलग नाम से कारोबार करेंगी. उक्त फर्म में एक ही कान्टीन्यूअस पार्टनर रहने से उक्त फर्म को प्रोपाईटरशिप में परिवर्तित करायी जा रही है. अब उक्त फर्म में पार्टनर नम्बर दो का नाम हटाने एवं उक्त फर्म में ललित मोहन शर्मा का नाम प्रोपाईटर में अंकित किया जाना है. यदि उपरोक्त वर्णित फर्म में उक्त रिटायर्ड/निकल गये पार्टनर का नाम हटाने या उसके नाम पर या उक्त फर्म के किसी भाग या हिस्से से किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी या अन्य का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो, तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मुझ पर बंधनकारी नहीं होगी और मेसर्स मोहन इंजीनियरिंग वर्क में मेसर्स मोहन इंजीनियरिंग वर्क का नाम प्रोपाईटरशिप में अंकित किये जाने के साथ रिटायर्ड/निकल गये पार्टनर के नाम हटाने एवं पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना और आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मोहन इंजीनियरिंग वर्कस,
ललित मोहन शर्मा आ. श्री मौजीलाल शर्मा,
श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री मुकेश शुक्ला,
भू-खण्ड क्र. 03-बी, बी-सेक्टर, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया,
गोविन्दपुरा, भोपाल.

(126-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

(प्रारूप-चार)

प्र. क्र./01/बी-113/2016-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962, नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक श्री अरविंद गुगालिया वल्द श्री कांतीलाल गुगालिया, निवासी नेहरू वार्ड, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी द्वारा श्री गुगालिया चैरीटेबल ट्रस्ट, कटनी, महाकौशल रिफैक्ट्रीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, कटनी के मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के व सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति/दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

''परिशिष्ट''

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	श्री गुगालिया चैरीटेबल ट्रस्ट, महाकौशल रिफैक्ट्रीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, कटनी.
पता	:	नेहरू वार्ड, हाऊसिंग बोर्ड, कटनी.
चल सम्पत्ति	:	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया स्थित खाता राशि 8,18,550/-
अचल सम्पत्ति	:	--

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित.

जे. पी. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1248)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़

प्र. क्र. 06/बी-113(1)/2016-17. टीकमगढ़, दिनांक 03 मई, 2017

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

पूज्य श्री सिंधी समाज गुरूद्वारा एवं झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दयाराम गुरनानी (कालू) सिंधी धर्मशाला, जामामस्जिद के पास, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं अन्य द्वारा आवेदन में वर्णित न्यास/न्यासीगण एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित चल सम्पत्ति का पंजीयन लोक न्यास में करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 03 जून, 2017 को उक्त आवेदन पर विचार किया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति के संबंध में हित रखता है और कोई आपत्ति (या सुझाव) प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखितरूप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 03 जून, 2017 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और चल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	"पूज्य श्री सिंधी समाज गुरूद्वारा एवं झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट"	
चल सम्पत्ति	:	1. श्री झूलेलाल भगवान की मूर्ति-1	5. पूजा के बर्तन-20
		2. शंकर महादेव जी की पिंडी-1	6. कुर्सियां-50
		3. श्री गुरूद्वारा साहिब-1	7. नगर राशि 30,000 रुपये.
		4. अलमारी लोहा-1	

परिशिष्ट-2

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

अचल सम्पत्ति	:	श्री सिंधी गुरूदारा साहिब-1	ख.नं. 2 रकवा 2116 वर्गफीट,	अनुमानित कीमत 52,90,000
		श्री झूलेलाल मंदिर-1	1773.6 वर्गफीट,	अनुमानित कीमत 70,92,000
		श्री सिंधी धर्मशाला-1	1316 वर्गफीट,	अनुमानित कीमत 65,80,000
		श्री सिंधी धर्मशाला दुकानें-10	प्रत्येक 80 वर्गफीट,	अनुमानित कीमत 40,00,000

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी.

मनोज कुमार ठाकुर,
पंजीयक.

(1249)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./ले./वसूली/2016-17/188.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, झाबुआ जिसका पंजीयन क्र./JHB/HO/72, दिनांक 13 फरवरी, 1962 है, को संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्र./साख/2016/321, इन्दौर, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो

तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1250)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

क्र./परि./2017/347.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लखपुरा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 809, दिनांक 27 जुलाई, 1993 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1255)

झाबुआ, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

क्र./परि./2017/348.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ा घोसालया, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./274, दिनांक 28 मार्च, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक

(1255-A)

कार्यालय परिसमापक पूर्व निमाड़ जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खण्डवा

दिनांक 25, 27 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./16-17/371.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 259, दिनांक 18 अक्टूबर, 1937 है, को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, इन्दौर के आदेश क्रमांक साख/2016/325, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
परिसमापक.

(1259)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र. 467/परि./2017.—हितकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढलमू, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1334, दिनांक 18 मई, 2015 है को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था के प्रशासक श्री अनिल कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक द्वारा पत्र क्रमांक निरंक, दिनांक 05 मई, 2017 से अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से उद्देश्य अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था का निर्वाचन भी सम्पन्न नहीं कराया गया है. पंजीयन के समय से जमा राशि सस्पेस खाते में जमा है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई.

अतः मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत हितकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढलमू, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(1256)

कार्यालय परिसमापक, हितकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढलमु, तहसील गरोठ, विकासखण्ड गरोठ, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र. 467/परि./2017.—हितकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढलमु, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1334, दिनांक 18 मई, 2015 है, को उप/सहायक-रजिस्ट्रार द्वारा हितकारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढलमु, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 467, मन्दसौर, दिनांक 05 मई, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

अनिल कुमार जैन,
सहकारी निरीक्षक.

(1256-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 03 मई, 2017

क्र. उरन/परि./17-18/974.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/182, नरसिंहपुर, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 11 सन् 1977, तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत् श्रीमति त्रिवेणी साहू, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 11 सन् 1977, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करती हूँ.

आज दिनांक 03 मई, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

शकुन्तला ठाकुर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1251)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1442.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 494, दिनांक 09 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1252)

उज्जैन, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1443.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसोदा, तहसील उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 600, दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1252-A)

उज्जैन, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1444.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरसोदन, तहसील उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 09 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सह. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1252-B)

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 497, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भुंवासा, तहसील खाचरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 22 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1252-C)

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1494.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिरोला, तहसील खाचरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 08 जनवरी, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1252-D)

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, तहसील खाचरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 759, दिनांक 17 जुलाई, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1252-E)

कार्यालय परिसमापक, क्रिश्चियन साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.-1/2017.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	क्रिश्चियन साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1418/07-03-1996	912/15-03-2017

अत: मैं, प्रदीप नाहटा, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

प्रदीप नाहटा,
परिसमापक.

(1453)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2017/911, उज्जैन, दिनांक 15 मार्च, 2017 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	ऊँ. शिर्डीवसाय साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	911/15-03-2017	37/09-05-2003

अत: मैं, राजेश शेर, S.A., मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के

अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

राजेश शेर,
परिसमापक.

(1453-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/904.—कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., नरयावली, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2808, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., नरयावली, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/905.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मानकीसलैया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 19 जुलाई, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2025, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मानकीसलैया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 19 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254-A)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/906.—पारस ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2822, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारस ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254-B)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/907.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/821, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1244, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254-C)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/908.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/823, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254-D)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/909.—डॉ. भीमराव अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1304, दिनांक 01 मई, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/810, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)

के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डॉ. भीमराव अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1304, दिनांक 01 मई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1254-E)

सागर, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/910.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 12 जनवरी, 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/201, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (मध्यप्रदेश) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 12 जनवरी, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1254-F)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/585.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा जय माँ अम्बे प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा पंजीयन क्रमांक ARH/09, दिनांक 05 जून, 2002 तहसील एवं जिला-हरदा है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये जय माँ अम्बे प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा पंजीयन क्रमांक ARH/09, दिनांक 05 जून, 2002 तहसील एवं जिला-हरदा (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 300, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1257)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/586.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा गुप्तेश्वर महिला प्राथमिक

उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा पंजीयन क्रमांक ARH/05, दिनांक 26 मार्च, 2003 तहसील एवं जिला-हरदा है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये गुप्तेश्वर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा पंजीयन क्रमांक ARH/05, दिनांक 26 मार्च, 2003 तहसील एवं जिला-हरदा (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 274, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-A)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/587.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा राधा सर्वेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मगरधा पंजीयन क्रमांक ARH/41, दिनांक 17 सितम्बर, 2003 तहसील एवं जिला-हरदा है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये राधा सर्वेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मगरधा पंजीयन क्रमांक ARH/41, दिनांक 17 सितम्बर, 2003 तहसील एवं जिला-हरदा (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 307, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-B)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/588.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., डुमलाय, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/31, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं

जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., डुमलाय, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/31, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 267, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-C)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/589.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा लक्ष्मीनारायण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/34, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये लक्ष्मीनारायण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हरदा, तहसील हरदा, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/34, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 298, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-D)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/590.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ऊवां, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/37, दिनांक 07 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ऊवां, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/37, दिनांक 07 फरवरी, 2003 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 267, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-E)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/591.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिराली, तहसील सिराली, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/39, दिनांक 12 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिराली, तहसील सिराली, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/39, दिनांक 12 जून, 2003 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 264, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-F)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/592.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा गरीब नवाज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., टिमरनी, तहसील टिमरनी, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/33, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये गरीब नवाज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., टिमरनी, तहसील टिमरनी, जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/33, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 275, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-G)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/593.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कचबैड़ी, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/25, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कचबैड़ी, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/25, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1257-H)

हरदा, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/594.—कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./14/551, हरदा, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., काकरंदा, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/26, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शमशुल हक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., काकरंदा, तहसील एवं जिला-हरदा, पंजीयन क्रमांक ARH/26, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 (संपरिवर्तन के उपरान्त पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 02 नवम्बर, 2016) के निगमित-निकाय (बॉडी-कारपोरेट) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1257-I)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला रतलाम

दिनांक 11 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र. 808.-अद्योहस्ताक्षरकर्ता परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को निम्न संस्थाओं का जिनके पंजीयन क्रमांक, दिनांक, नाम के सम्मुख वर्णित है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता, जिला रतलाम के नाम के सम्मुख अंकित आदेश क्रमांक व दिनांक के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वर्णकार सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	10/06-08-1959	क्र./परि/2017/327/03-02-2017

1	2	3	4
2.	प्रजापति ईंट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद	883/06-12-2010	क्र./परि/2017/328/03-02-2017
3.	सुरभि प्रजापति ईंट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बिबडोद	773/14-01-2002	क्र./परि/2017/329/03-02-2017
4.	ओंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	465/15-02-1988	क्र./परि/2017/301/03-02-2017
5.	श्री जैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	331/16-02-1979	क्र./परि/2017/299/03-02-2017
6.	तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	24/10-07-1967	क्र./परि/2017/292/03-02-2017

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. के. जैन,

(1258) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई, 2017-ज्येष्ठ 5, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला डिण्डौरी में फसल गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, बैतूल में चना, गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-** . .

5. **कटाई.**- जिला डिण्डौरी में फसल धान, दमोह, सीधी व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, बड़वानी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .		(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ कम. अरहर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, जौ, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, राई, चना, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढार	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. गोहपारू	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ कम. अलसी, चना, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, ज्वार, अलसी, मटर, राई, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, कपास, गन्ना अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		ज्वार, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .		(2) . .		
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावरा	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. रेहटी	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, मसूर, चना, मटर,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	राई-सरसों की बोनी का	4. (1) गेहूँ, मसर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसरू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
45. *जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .				
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .		(2) . .		
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .				
3. शाहपुरा	. .		(2) . .		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .				
3. परासिया	. .		(2) . .		
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
13. उमरेठ	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .		(2) . .		
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				

टीप.-*जिला नीमच व कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1247)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.